सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राज.)

<u>विज्ञापन संख्या APP-01/2024 दिनांक 22.08.2024</u>

शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, आरएसी, वेल्डर, प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक व कोपा को निम्नलिखित ट्रेडों के लिए शिक्षुओं का विनियोजन करने हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर चयन किया जाना हैः

क्र. सं.	ट्रेड	शैक्षणिक योग्यता	विनियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या
1.	इलेक्ट्रीशियन	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	08 (06 सीरी, पिलानी व 02 सीरी, जयपुर सेंटर)
2.	फिटर		06 (04 सीरी, पिलानी व 02 सीरी, जयपुर सेंटर)
3.	टर्नर		03 (02 सीरी, पिलानी व 01 सीरी, जयपुर सेंटर)
4.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक		06
5.	मशीनिस्ट		01
6.	आरएसी (RAC)		03
7.	वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	01
8.	प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए कोपा (COPA) ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	05
9.	कोपा (COPA)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	03
		कुल	36

<u>उम्मीदवार का apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण होना आवश्यक है अन्यथा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर छानबीन समिति द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी ।</u>

शिक्षुओं का चयन न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर/ छानबीन समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

आयु: शिक्षु के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।

अवधि: शिक्षुता की अवधि शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार होगी।

वृत्तिका: शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार।

शिक्षु का विनियोजन शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत पूर्णतः अस्थायी है। इसलिए यह विनियोजन सीएसआईआर - सीरी/ सीएसआईआर में किसी पद पर नियमितीकरण/ आमेलन के लिए विचारार्थ अन्तर्निहित या स्पष्ट अधिकार/ दावा प्रदान नहीं करता।

जो उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं वे दिनांक **02.09.2024** को **सायं 05:00** बजे तक संस्थान कि वैबसाईट www.ceeri.res.in के माध्यम से **ऑनलाइन आवेदन** करना होगा। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विनियोजन संबंधी प्रश्नों के लिए संपर्क करें:	**तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए संपर्क करें:**
श्री राजन तिर्की **अनुभाग अधिकारी** **सीएसआईआर-सीरी, पिलानी** **ईमेल: recruitment@ceeri.res.in** **फोन: 01596 - 252275**	**श्री संजीव कुमार** **एआईटीजी** **सीएसआईआर-सीरी, पिलानी** **ईमेल: sanjeevkumar@ceeri.res.in** **फोन: 01596 - 252282**

संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित लिंक (Link) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexvbI5uYIgbiDTcYLahlNOeCCkN_uq8ocoNXlFv-oz29dpbg/viewform?usp=sf_link में जीवन-वृत्त (बायो-डाटा), पासपोर्ट आकार की स्वयं की फोटो तथा अपनी शैक्षणिक अर्हताओं, **apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण का दस्तावेज**, जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के दस्तावेजों की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियाँ फार्म भरने के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन के प्रिंट-आउट को अपने पास सुरक्षित रखा जाए और कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर इसे कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।

अनुभाग अधिकारी